

पत्र संख्या- जी0एस0टी0 रजिस्ट्रेशन/2017-18/ 1718099/ 1947 वाणिज्य कर
कार्यालय कमिश्नर, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश
(आई0टी0-अनुभाग)
लखनऊ: दिनांक: मार्च, 23 2018

समस्त जोनल एडीशनल कमिश्नर,
वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।

विषय:- SEZ इकाईयों को रेगुलर एवं रेगुलर को SEZ में परिवर्तित करने की प्रक्रिया के सम्बन्ध में।


मुख्यालय स्तर पर कई व्यापारियों द्वारा SEZ इकाई के त्रुटिवश रेगुलर इकाई के रूप में एवं उसी प्रकार रेगुलर इकाई के SEZ के रूप में रजिस्ट्रेशन हो जाने की समस्या के सम्बन्ध में ई-मेल आदि प्राप्त हो रहे हैं। उक्त के क्रम में वांछित परिवर्तन हेतु प्रक्रिया निम्नवत है:-

1. व्यापारी द्वारा अपने खण्डाधिकारी को इस आशय का आवेदन प्रेषित किया जाएगा।
2. सम्बन्धित खण्डाधिकारी द्वारा व्यापारी के आवेदन को अनुमोदित किया जायेगा एवं अनुमोदन के पश्चात् व्यापारी का विवरण निम्न प्रारूप में मुख्यालय को ई-मेल ctithqlu-up@nic.in पर अथवा पत्र के माध्यम से प्रेषित किया जायेगा:-

S.No	State	GSTIN No	Name of the Taxpayer	Migrated /New	Email from which request is received	Current Status SEZ/ISD/ Normal	Status Required- SEZ/ISD/Normal	Date of request	Screen Shot (Approval Mail)
------	-------	----------	----------------------	---------------	--------------------------------------	--------------------------------	---------------------------------	-----------------	-----------------------------

विवरण के साथ खण्डाधिकारी का अनुमोदन भी संलग्न किया जायेगा।

3. उक्त प्रक्रिया नये एवं Migrated दोनों ही प्रकार के व्यापारियों हेतु है। कृपया अपने जोन में इसका अनुपालन कराना सुनिश्चित करें।


(आन्जनेय कुमार सिंह)
एडीशनल कमिश्नर, वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।